

अंचल अधिकारी तीपचाची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 42 (IX)

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- नैरी थाना- 173 खाता संख्या- 256 प्लॉट संख्या- 18.34 रकबा- 0.72 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 02 के पृष्ठ संख्या- 250, पर जमाबंदी रैयत बिहार सरकार के नाम से कायम है। रघुवर महतो

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 15.10.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

30.8.16

27.07.2020

पुनश्चः

अभिलेख उपस्थापित। कोविड -19 में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख का कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक ...14.07.2020.....को रखें।

अचल अधिकारी,
तोपचौची।

14.07-2020


अभिलेख उपस्थापित। कोविड -19 के तहत विधि -व्यवस्था में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख का कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक 28.11.2020.. को रखें।


अचल अधिकारी,
तोपचौची।

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक
के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत
या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का
नंग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में
उल्लेखित है कि मौजा नेरी मौजा नं० 123 खाता नं० 256
प्लॉट नं० 1834 रकवा 0.72
से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11
के जमाबंदी भोलुम नं० 252 के पृष्ठ सं० में रैयत सुधर महाता
सा० - के नाम से
कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के
/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी
है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की
विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड)
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे
रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को
..... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता,
समी
धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।


28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- खुबुल मंहेरा पिता बाबुलाल महेरा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मेरा	173	256	1834	0.72 एकड़

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....0.2..... पृष्ठ सं०-2.50..... पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1977

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- विद्याल सफा

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- अं अ - हाजरी

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नभान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
15	405799	31.3.77	1977-78 एकड़

ml A order
ke
H. B. 12
16-07-2016

(Handwritten signatures and marks)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

संख्या सं० 42(1X) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

नाम

रघुवर महतो

पिता - मामुलाल महतो

ग्राम - नेरी पों०

थाना - जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा नेरी
थाना नं० 173 खाता नं० 256 प्लॉट नं० 1834
रकबा 0.72 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० के पंजी II
भाग 02 के पृष्ठ 250 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 15/10/16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :-

स्थान :- तोपचौंची

इस को धरनी मिलने
के कारण नोटिस जारी करने का पत्र

26/11/16
13/10/16



अंचल अधिकारी

तोपचौंची

30.8.16